न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

(1) पंचायत निगरानी संख्या : 121/2024 जीसीएमएस नम्बर : 2024/182

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीया :–
विकास अधिकारी, पंचायत समिति रोहट, जिला पाली		1. सुनिल विश्नोई पुत्र हरीराम विश्नोई ऋषभ नगर, महादेव मंदिर के पास, रोहट, तहसील रोहट जिला पाली 2. सरपंच, ग्राम पंचायत रोहट

(2) पंचायत निगरानी संख्या : 171/2024 जीसीएमएस नम्बर : 2024/284

प्रार्थीयाः–	बनाम	अप्रार्थीया :–
भरत पटेल पुत्र कानाराम जाति पटेल निवासी निम्बली पटेलान तहसील रोहट जिला पाली हाल सरपंच ग्राम पंचायत रोहट जिला पाली		1. सुनील विश्नोई पुत्र हरीराम जाति विश्नोई निवासी रोहट तहसील रोहट जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह राजपुरोहित, प्रार्थी भरत पटेल की ओर से (पंचायत निगरानी संख्या 168/2024)
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री शंकरलाल गहलोत।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांक : 30/01/2025

विकास अधिकारी पंचायत समिति रोहट एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दोनो पंचायत निगरानी ग्राम पंचायत रोहट द्वारा मिसल संख्या 205/2016–17, संकल्प संख्या 01 दिनांक 20.10.2016 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 32 दिनांक 11.09.2019 के विरूद्ध होने के कारण दोनों पंचायत निगरानी को समेकित कर निर्णय पारित किया गया। उक्त दोनों निगरानी को अलग अलग दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति, रोहट ने निगरानी पेश कर निवेदन किया कि जैर निगरानी पट्टे के आवेदन पत्र पर सरपंच के हस्ताक्षर ही नहीं है और न ही स्थल नक्शा पर आवेदक के हस्ताक्षर है। सरबर्क फार्म पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है। आक्षेप आमंत्रित करने के नोटिस पर चस्पानगी रिपोर्ट के सम्बन्ध में 2 गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है तथा मिसल में आज्ञाओं की सूची अपूर्ण है, साथ ही निर्णय पत्र अपूर्ण है। उक्त पट्टे की भूमि आबादी व राजस्व भूमि की सीमा पर है, जिसमें कही पर भी खसरा संख्या नहीं लिखे हुये है। मौके पर उक्त पट्टे की भूमि खाली है किसी प्रकार का मकान व रहवास

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

नहीं है लेकिन ग्राम पंचायत ने विधिविरूद्ध तरीके से राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नहीं की गई है इसलिये जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

प्रार्थी भरत पटेल के अधिवक्ता ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी खाली भूखण्ड के रूप में स्थित है और तत्कालीन ग्राम पंचायत ने राज. पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जैर निगरानी पट्टा विधिविरूद्ध तरीके से जारी कर राजस्व की हानी की है जबकि नियम के अन्तर्गत पुराने गृहों का विनियमितिकरण करने का प्रावधान है। नियम 148 के तहत आक्षेप आमंत्रित किये जाने का दिनांक 21.03.2017 की ऑर्डरशीट में वर्णित है लेकिन ऐसा आक्षेप नोटिस की पुश्त पर चस्पानगी रिपोर्ट अंकित नहीं है। मिसल की सम्पूर्ण ऑर्डरशीट निर्धारित कम्प्यूटर फॉमेर्ट में तैयार की गयी है जिसमें भी नाप व पडौस का विवरण खाली छोड़ा हुआ है। निर्णय पत्र अपूर्ण है। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों की पालना नहीं करते हुये विधिविरूद्ध तरीके सेजैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे खारिज फरमावे।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस का खंडन करते हुए निवेदन किया कि जैर निगरानी में प्रार्थी पीड़ित पक्ष नहीं है। अप्रार्थी का जैर निगरानी प्टटे की आराजी पर छोटा मकान बना हुआ है। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष जैर निगरानी पट्टे हेतु नियमानुसार आवेदन पेश किया, जिसका नक्शा बनाया जाकर तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया तत्दुपरान्त आपत्ति नोटिस जारी कर विधिनुसार जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया। उक्त पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा यदि कोई तकनीकी त्रुटि रह जाती है तो उसके लिये अप्रार्थी जिम्मेदार नहीं है और न ही इस आधार पर जैर निगरानी पट्टे को खारिज किया जाना न्यायोचित है। इसलिये प्रार्थी द्वारा बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत उक्त निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत रोहट द्वारा मिसल संख्या 205/2016–17, संकल्प संख्या 01 दिनांक 20.10.2016 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 32 दिनांक 11.09.2019 के विरूद्ध पेश की है। पत्रावली पर उपलब्ध मुख्य कार्यकार अधिकारी जिला परिषद पाली के पत्र दिनांक 30.03.2022 की पालना में ग्राम पंचायत रोहट के पट्टो की प्रस्तुत जांच रिपोर्ट की क्रम संख्या 10 पर अंकितानुसार अप्रार्थी के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा पंचायती राज नियम, 1996 के तहत नियम 157(1) के तहत जारी किए हुये है। उक्त पट्टा पंचायती राज नियम 157(1) के अन्तर्गत पचास वर्ष से अधिक पूर्व में निर्मित मकानो हेतु है लेकिन उक्त पट्टा खाली जमीन पर जारी किया गया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा तैयार मिसलों में अधिकांश पूर्तिया करने का अभाव पाया गया है। इस प्रकार यह पट्टे नियम विरूद्ध जारी किये गये है, जिससे ग्राम पंचायत को राजस्व की हानि हुई है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

2017(2)DNJ(Raj)730 Mangilal Meghwal vs state में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा, 157 के तहत पट्टा देने के लिए मौके पर पुराना मकान होना आवश्यक है।" जांच प्रतिवेदन के विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टा विधिविरूद्ध है। इसके अतिरिक्त जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया हैं। जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है। हस्तगत प्रकरणों में पट्टे जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं।

ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उनके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत ही नहीं किया गया और न ही प्रार्थना पत्र पर आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक अंकित है, न ही आबादी भूमि के खसरे संख्या का अंकन है, इसके अतिरिक्त आप्रार्थी ने भू-खण्ड का पट्टा बनाने हेतु आवेदन पेश किया। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का आवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 20.02.2017, जो कि प्रथम आदेशिका थी, उसमें सचिव को नक्शा बनाये जाने हेतु आदेशित किया गया किन्तु प्रश्नगत आराजी से सम्बन्धित नक्शे पर न तो सायल के हस्ताक्षर है और न ही नक्शा तैयार करने की दिनांक अंकित है। आदेशिका दिनांक 06.03.2017 के द्वारा प्रश्नगत आराजी का पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हें नामित नहीं किया गया। सम्पूर्ण आदेशिका कम्प्यूटर टाईप है, जो प्रथम दृष्टया एक ही दिन में तैयार किया जाना प्रतीत होता है। आवेदक द्वारा नियम 145(2) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/- रुपये जमा करवाये जाने थे, जो नहीं करवाये गये। इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में किन व्यक्तियों द्वारा बयान दिये गये है यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। बयान फार्म पर न तो बयानकर्ता का नाम अंकित है, न ही उनके हस्ताक्षर है और न ही बयान दियें जाने की कोई दिनांक अंकित है। इसके अतिरिक्त मिसल की आदेशिका दिनांक 07.04.2017 में भी गवाहों के नाम का स्थान रिक्त छोडा हुआ है। साथ ही पंचों द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें भी मूलभूत तथ्यों का अभाव है। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसका सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

कोई रिपोर्ट अथवा गवाहों के हस्ताक्षर अंकित नहीं है तथा उक्त नोटिस के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। प्रकरण की मिसल में भी मूलभूत जानकारी का अभाव पाया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टे विधि सम्मत नहीं है इसलिये हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप उपरोक्त दोनो पंचायत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत रोहट द्वारा मिसल संख्या 205/2016–17, संकल्प संख्या 01 दिनांक 20.10.2016 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 32 दिनांक 11.09.2019 को अपास्त किया जाता है। निर्णय पृथक–पृथक प्रतियों में लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर दोनों निगरानी याचिका में नत्थी किया जावे। निर्णय की सत्यप्रति के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.))

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर
पाली (राज.)